न्यायालय, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर

हकितय वाद–87 / 2017

अमरजीत गिरी वगैरह .....वादीगण

बनाम

राजू राम वगैरह.....प्रतिवादीगण

आदेश

26.07.22 अभिलेख आज वादी की ओर से प्रतिस्थापन हेतु दाखिल आवेदन दिनांक–23.05.2022 तथा उसके तत्संबंधित प्रत्युत्तर दिनांक–20.06.2022 पर आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।

अपने आवेदन में वादी ने यह निवेदन किया है कि उनकी ओर से दाखिल आवेदन दिनांक–27.08.2018, अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 के लंबित रहते हुए प्रतिवादी सं0–2ए की मृत्यु दिनांक–17.09.2021 को हो गई है। अतः उनका नाम वादपत्र में विलोपित होना आवश्यक है। अपने आवेदन के साथ वादी ने अनुच्छेद–5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन भी यह कहते हुए दाखिल किया है कि चूँकि प्रतिवादीगणों द्वारा दाखिल लिखित कथन में मृतक प्रतिवादी के संबंध में कुछ नहीं कहा गया था। अतः उन्हें उनकी मृत्यु की जानकारी नहीं हो सकी थी। अतः विलंब माफी की प्रार्थना की गई है।

अपने प्रत्युत्तर में प्रतिवादी ने यह निवेदन किया है कि उपरोक्त आवेदन खारिज किए जाने योग्य है एवं आवेदन में दी गई मृत्यु की तिथि गलत है, बल्कि ही तिथि 17.09.2020 है। समयानुसार उक्त प्रतिवादी का प्रतिस्थापन नहीं किए जाने से उनके विरुद्ध वाद उपसमित हो गया जिसके अपास्तिकरण हेतु वादी द्वारा कोई आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। अतः यह वाद खारिज किए जाने योग्य है। परिसीमा के संबंध में प्रतिवादी कथन यह है कि उनकी प्रतिवादी की मृत्यु की जानकारी वादी को शुरू से रहती आयी है और काल बाधा के संबंध में उनका किया गया अभिवचन गलत है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0–2ए कुषुम देवी की मृत्यु होना उभय पक्षों द्वारा स्वीकृत है। विवाद बस इतना है कि जहॉ वादी उनके मृत्यु की तिथि 17.09.2021 बतलाते हैं वहीं प्रतिवादी द्वारा उक्त तिथि 17.09.2020 बतलाया गया है जो इस न्यायालय को लिपिकीय भूल ही प्रतीत होता है। दूसरी ओर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए काल बाधा संबंधी दिशा–निर्देश में वादी द्वारा दाखिल बर्तमान आवेदन समय–सीमा के भीतर है। अतः प्रस्तुत वाद में काला बाधा का प्रश्न अंर्तवलित नहीं है। तद्नुसार वादी द्वारा दाखिल उपरोक्त आवेदन स्वीकृत किया जाता है एवं कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वे वादपत्र से प्रतिवादी सं0–2ए का नाम कलमजद करें।

अभिलेख दिनांक– 03.09.2022 वास्ते 89 पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश,
शाहपुर पटोरी